कर लें, ताकि बाढ़ से घिरे पशुओं का इलाज ससमय किया जा सके। इस निमित विभाग से पर्याप्त मात्रा मे दवाई/ चारा प्राप्त करे लें। साथ ही केन्द्रों /उपकेन्द्रों पर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत पशु चिकित्सक/कर्मियो की प्रतिनियुक्ति करते हुए इसकी एक प्रति आपदा प्रबंधन,मधेपुरा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

9. **शुद्ध पेयजल की व्यवस्था** :- कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि सभी बाढ़ग्रस्त प्रखण्डों के चिन्हित शरण स्थल पर चापाकल लगाना सुनिश्चित करें, साथ ही पूर्व से लगाये गये चापाकल की मरम्मती करवाते हुए इसकी सूचना आपदा प्रबंधन,मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

10. **सड़कों की मरम्मती** :- कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, मधेपुरा को निदेश दिया जात है कि बाढ़ प्रभावित प्रखण्डों में प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराया जा सके इसके लिए आवश्यक है कि चिन्हित शरण स्थल तक पहुँच पथों की मरम्मती करवा लिया जाय ताकि बाढ़ आने पर आवागमन बाधित न हो ।

11. **खाद्यान्न की उपलब्धता** :- जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि खासकर चौसा/ आलमनगर एवं पुरैनी प्रखण्ड स्थित गोदाम में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण करना सुनिश्चित करें।

12. **आवश्यक संसाधन** :- अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि बाढ़ के समय किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना घटती है तो उसके बचाव एवं राहत कार्य में त्वरित कार्रवाई हेतु एक सूची तैयार कर ली जाय, जिसमें जे0सी0बी0 मशीन, कटर मशीन , महाजाल, लाइफ जैकेट, मोटर वोट, गोताखोर, सरकारी एवं प्राइवेट डॉक्टर, एम्बुलेंस पी0एच0सी0 प्रभारी आदि की पूर्ण विवरणी मोबाईल नं0 सहित संधारित हो।

13. **नियंत्रण कक्ष** :- अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष जो पूर्व से स्थापित है को 30 अक्टूबर 2013 तक के लिए विस्तारित करते हुए नियंत्रण कक्ष को 24 घंटा कार्यरत कराना सुनिश्चित करेगें।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0।—

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक 488 /आ0प्र0, दिनांक- 17-10-13

प्रतिलिपि :- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी,मधेपुरा/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0,मधेपुरा/ जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा/ असैनिक शल्य चिकित्सक सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा/ जिला पशु पालन पदाधिकारी, मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मधेपुरा/ कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल,मधेपुरा/ जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन ,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

D
15/10/13

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा।

Shilpa/ Aapda

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

दिनांक - 14.10.2013 को मुख्य सचिव बिहार, पटना के अध्यक्षता में फाईलिन (Phailin) से उत्पन्न स्थिति से निपटने के संबंध में आयोजित विडियो क्रान्फॅसेगि से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन :-

1. **वर्षा मापक यंत्र :-** जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ,मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक दिन 12:00 बजे तक सभी प्रखण्डों से वर्षापात प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रति आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना एवं आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
2. **संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं संकट्ग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान :-** जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पंचायत स्तर पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले संभावित गॉव/ टोलों की पहचान तथा उस क्षेत्र के अनुसूचित जाति/ जनजाति/निराश्रितों/निःसक्तजनों/गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं की पहचान कर इसकी सूची बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर पर तैयार कर इसकी एक प्रति आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
3. **सूचना व्यवस्था :-** जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी ,मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि बाढ़ के किसी भी स्थिति से जूझने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि पंचायतय स्तर से लेकर जिले स्तर तक सूचना की आदान-प्रदान की व्यवस्था सुदृढ़ हो। अतः निदेश दिया जाता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर क्षेत्रीय कर्मचारी यथा जनसेवक /राजस्व कर्मचारी /पंचायत सेवक के मोबाईल नं0 एवं आवासन का पता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों यथा वार्ड सदस्य/ पंचायत समिति सदस्य /मुखिया का भी मोबाईल नं0 एवं आवश्यक पदाधिकारी का मोबाईल नं0 संकलित कर इसकी एक प्रति आपदा प्रबंधन शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. **नाव की व्यवस्था :-** अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अंचलवार सरकारी एवं निजी नावों की सूची तैयार कर नाविक/नाव मालिकों का मोबाईल नं0 के साथ तैयार रखे, ताकि बाढ़ की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग हो सके।
5. **शरण स्थल :-** अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि बाढ़ के समय जिस गॉव में पानी प्रवेश कर जाने की संभावना हो वहॉ के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने हेतु सरकारी विद्यालय/ महाविद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक ऊँचे स्थानों की चिन्हित कर उसकी एक सूची तैयार कर लें, ताकि बाढ़ में फॅसे लोगों को उक्त शरण स्थल पर रखा जा सके।
6. **मानव दवा की उपलब्धता :-** असैनिक शल्य चिकित्सक सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि बाढ़ के समय संभावित महामारी से बचाव के लिए प्रचुर मात्रा में सर्फ दंश, हेलोजन, क्लोरिन, मलेरिया, कालाजार इत्यादि की दवा स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्द्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. **मोबाईल मेडिकल टीम :-** असैनिक शल्य चिकित्सक सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि सभी प्रखण्डों में मेडिकल टीम गठित कर आवश्यक चिकित्सक एवं पारा मेडिकल स्टाफ को प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करें, साथ ही बड़े शरण स्थलो के लिए मेडिकल कैम्प तथा शेष शरण स्थल के लिए मोबाईल मेडिकल टीम गठित करें। प्रत्येक मोबाईल टीम के साथ दो या तीन शरण स्थल संबंद्ध रहेगें। इस प्रकार इसकी सूची तैयार कर आपदा प्रबंधन, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. **पशु चारा एवं पशु दवा की व्यवस्था :-** जिला पशु पालन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं को महामारी से बचाने हेतु पशु केन्द्र/उपकेन्द्र के अलावे चलन्त दल का भी गठन